शासनादेश सं0-35/2019/1657/30-3-19-29एन/2014 टी0सी0 दिनांक 11-6-19का संलग्नक

सड़क सुरक्षा सप्ताह 17.06.2019 से 22.06.2019

रूपरेखा

1. **प्रथम दिवस (दि0 17.06.2019) स्टेक होल्डर्स कार्यशाला–समस्त संबंधित विभाग**

   - जनपद में कार्यरत सभी ऑटोमोबाइल डीलर्स, ऑपरेटर्स, यूनियन, संस्थाए, समितियां तथा एन0जी0ओ0के सहयोग से।
   - वर्क शॉप के उद्‌घाटन हेतु जनपद के मा0 मंत्री/मा0 प्रभारी मंत्री, मा0 सांसद, मा0 विधायक इनमें से जो भी जनपद में उपलब्ध हो, को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाए।
   - कार्यक्रम की अध्यक्षता मण्डलीय जनपदों में मण्डलायुक्त शेष जनपदों में जिलाधिकारी द्वारा कराया जाए तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में क्रमशः आई0जी0, डी0आई0जी, एस0एस0पी0, एस0पी को आमंत्रित किया जाए।

2. **द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ दिवस (दि0 18, 19 20.06.2019) के प्रवर्तन संबंधी कार्यक्रमः– पुलिस एवं परिवहन विभाग**

   द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ दिवस के कार्यक्रमों निम्नांकित 03 समूहों में विभाजित है:–

   (क) <u>यातायात के नियमों के पालन संबंधी कार्यवाही</u>

   - सीटबेल्ट/हेल्मेट न लगाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही।
   - ओवर स्पीडिंग, रेड लाइट जंपिंग करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही।
   - वाहन चलाते समय मोबाइल फोन एवं इयर फोन का प्रयोग करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही।
   - नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के विरूद्ध ब्रेथ–एनालाइजर द्वारा चेकिंग की कार्यवाही।

   (ख) ओवर लोडिंग के विरूद्ध प्रवर्तन कार्यवाही

   - शहर में ओवर लोडिंग करने वाले यात्री वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही।
   - ओवर लोडिंग करने वाले माल वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही।

   (ग) सेफ्टी डिवाइसेज की चैकिंग की कार्यवाही

   - सभी वाहनों में सेफटी डिवाइसेज जैसे–साइड मिरर, इंडीकेटर तथा व्यावसायिक वाहनों में रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप की चेकिंग।
   - व्यवसायिक वाहनों में फिटनेस परमिट की चेकिंग।
   - प्रदूषण संबंधी चेकिंग।

सप्ताह के तीनों दिन द्वितीय, तृतीय, एवं चतुर्थ दिवस में समूह क, ख एवं ग में से कोई एक प्रवर्तन का अभियान प्रतिदिन चलाया जाय।

G.O. 2018 S.O. Das

Downloaded from www.upsrtc.com